



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129188-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक रिट-जनहित याचिका संख्या - 10 वर्ष 2026

लाल चंद यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्मराज चौधरी, संतोष कुमार वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. यह आपराधिक विविध जनहित याचिका याचिकाकर्ता लाल चंद यादव ने जनहित में दायर की है। इसमें यह मांग की गई है कि एक 'मैन्डमस' (आदेश) जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों/अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे 13.08.2025 और 27.08.2025 के उन आदेशों को वापस लें, जिनके तहत आपराधिक अपील संख्या 7280/2022 में जमानत दी गई थी और दोषसिद्धि व सज़ा पर रोक लगाई गई थी। साथ ही, यह भी निर्देश दिया जाए कि आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपील संख्या 7280/2022 को सांसद/विधायक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भेजा जाए, ताकि न्याय के हित में उस न्यायालय द्वारा इसका निस्तारण किया जा सके।

2. याचिकाकर्ता ने इस याचिका में जो राहत मांगी है, वह बहुत ही अजीब और अनुचित है। फिर भी, न्यायालय का यह फ़र्ज़ है कि वह अपने सामने लाए गए किसी भी मामले पर विचार करे, चाहे मामले की वजह कुछ भी हो और मांगी गई राहत कुछ भी हो। यहाँ हम यह देख रहे हैं कि भले ही याचिकाकर्ता के पास यह सोचने का कोई भी आधार हो कि प्रतिवादी संख्या 5 को दी गई ज़मानत रद्द कर दी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह के अधिकार-क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उसने यह याचिका दायर की है और जो राहत मांगी है, उसे देखते हुए हम इस मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकते।

3. इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने आपराधिक अपील संख्या 7280/2022 में 13.08.2025 के आदेश के ज़रिए उत्तरदाता संख्या 5 को ज़मानत दी थी। यह साफ़ तौर पर सेशंस न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज सज़ा के आदेश के खिलाफ़ एक अपराधिक अपील है। इसके बाद 27.08.2025 को उसी डिवीज़न बेंच ने एक और आदेश पास किया, जिसे याचिकाकर्ता 13.08.2025 के आदेश की तरह ही वापस लेने की मांग कर रहा है। इस आदेश के ज़रिए, पहले दिए गए ज़मानत के आदेश में बदलाव करते हुए, अपील के लंबित रहने के दौरान रेस्पॉन्डेंट संख्या 5 की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया।

4. अब याचिकाकर्ता हमारे उस आदेश (मैन्डमस) की मांग कर रहा है जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों—यानी यूपीराज्य, सीनियर सुपरिटेण्डेंट ऑफ़ पुलिस (आजमगढ़), स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (पी.एस. शाहगंज, ज़िला जौनपुर) और स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (पी.एस. फूलपुर, ज़िला आजमगढ़)—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को यह निर्देश दिया जाए कि वे ज़मानत के उस आदेश और सज़ा को निलंबित करने वाले आदेश को वापस लें, जो इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने एक आपराधिक अपील में पारित किया था।

5. हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ विज्ञान के विषयों के आने से नागरिकों की दूसरी बातों के बारे में जागरूकता और सामान्य ज्ञान कम हो गया है, और साथ ही कानूनों की जानकारी भी बहुत कम हो गई है। कानून की समझ अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। लोग दूसरे विषयों में इतने व्यस्त हैं कि न्यायालय के बाहर ऐसी बातें कही और की जाती हैं, जो कानून की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अजीब और गलत होती हैं। यहाँ समस्या यह है कि यह याचिका एक जानकार अधिवक्ता के ज़रिए दायर की गई है, जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि उनके ध्यान में लाए गए कच्चे तथ्यों को वे न्यायालय के सामने कानूनी रूप से पेश करने लायक मामले में बदलेंगे। हालांकि, अधिवक्ता साहब ने याचिकाकर्ता की मांग मान ली है और हमसे गुज़ारिश की है कि हम यूपी सरकार (जिसका प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव (गृह), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (आजमगढ़), स्टेशन हाउस ऑफिसर (शाहगंज थाना, जौनपुर ज़िला) और स्टेशन हाउस ऑफिसर (फूलपुर थाना, आजमगढ़ ज़िला) कर रहे हैं) को 'मैन्डमस' (आदेश) जारी करें। यह आदेश इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच द्वारा एक आपराधिक अपील में दी गई ज़मानत और सज़ा पर रोक के आदेश को वापस लेने के लिए होना चाहिए। हमारी पिछली टिप्पणियों का कारण यह है कि इसके लिए कानून की गहरी जानकारी की ज़रूरत नहीं है; अगर सामान्य समझ भी हो, तो यह साफ़ है कि इस तरह का निर्देश इतना बेतुका है कि ऐसी गुज़ारिश कभी लिखित रूप में नहीं की जानी चाहिए थी। चाहे जो भी कारण रहा हो, विद्वान अधिवक्ता ने न केवल याचिका का मसौदा तैयार किया, बल्कि यह गुज़ारिश भी की। इसके कारण तो वही बेहतर जानते होंगे।

6. अर्ज़ी का दूसरा हिस्सा यह है कि आपराधिक अपील संख्या 7280/2022, जिसमें डिवीज़न बेंच ने अपील मंज़ूर कर ली है और ज़मानत देने के साथ-साथ सज़ा पर रोक भी लगा दी है, उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुनवाई के लिए सांसद/विधायक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में भेजा जाए। असल में, सांसद/विधायक न्यायालय, सेशन न्यायालय के ही हिस्से हैं जिन्हें खास तौर पर जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए तय और अधिसूचित किया गया है। इस न्यायालय में अपराधिक अपील, सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के आदेश के खिलाफ की जाती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अपराधिक अपील को सांसद/विधायक न्यायालय में भेजा जा सके, क्योंकि वह असल में एक सेशन न्यायालय ही है। इस न्यायालय के सामने रखी गई दोनों ही मांगें इतनी चौंकाने वाली हैं कि हमारी राय में, इन पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई करने की भी ज़रूरत नहीं है।

7. फिर भी, चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह की प्रार्थना की गई है—और ऐसा लगता है कि उसने अपने दो अधिवक्ताओं को इसे न्यायालय के सामने पेश करने के लिए मना लिया था—इसलिए हम उसे बिना किसी परिणाम के जाने नहीं दे सकते।

8. इसलिए, यह याचिका 50,000 रुपये के खर्च के साथ **खारिज** की जाती है। यह रकम याचिकाकर्ता से वसूल की जाएगी और उसे **पंद्रह दिनों** के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करनी होगी। अगर यह रकम जमा नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रार जनरल इसे ज़मीन के लगान की बकाया राशि के तौर पर वसूल करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। रकम मिलने के बाद, इसे बिना किसी देरी के हाई न्यायालय लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा।

9. कार्यालय द्वारा यह आदेश **सोमवार, यानी 29.06.2026** तक माननीय रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

25 जून, 2026

दीपक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।